राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जांच) विभाग

क्रमांकः प.3(1)का./क–3/जांच/2004 पार्ट जयपुर, दिनांक 21 DEC 2021

परिपत्र

विषयः– सेवानिवृत्त राजसेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने के संदर्भ में दिशा–निर्देश।

राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्त राजसेवको के संदर्भ में अनुशासनिक जांच कार्यवाही प्रारम्भ/सम्पादित करने के दिशा–निर्देश पूर्ववर्ती परिपत्र दिनांक 30.04.1999, 03.03.2001, 30.09.2002, 31.08.2006 एवं 20.08.2007 द्वारा प्रसारित कर रखे है। (संदर्भ हेतु कार्मिक विभाग की वेबसाइट http://dop.rajasthan.gov.in देखें)

सेवानिवृत्त राजसेवकों के संदर्भ में अनुशासनिक जांच कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व प्रशासनिक विभाग के माध्यम से राज. सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1996 के नियम–7 के प्रावधानों के अंतर्गत माननीय राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त करना पूर्व निर्धारित शर्त है, यह अनुमोदन उन्हीं प्रकरणों की विषयवस्तु के संदर्भ में प्राप्त किया जाना है जिनमें राजसेवक का कृत्यः–

(1) गम्भीर दुराचरण,
(2) घोर लापरवाही,
(3) आर्थिक हानि, से संबंधित हो और
(4) घटना 4 वर्ष की अवधि में ही हो।

अतः माननीय राज्यपाल महोदय को प्रकरण प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त बिन्दुओं का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे अन्यथा विषयवस्तु को सम्मिलित नहीं किया जावे।

यह देखने में आया है कि विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग इस प्रकार के अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरणों को लम्बे समय तक असाधारण विलम्ब सहित लम्बित रखते हैं और घटना से 4 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने या उसके आस–पास ऐसे अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरणों को माननीय राज्यपाल महोदय की पूर्व स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करते है, जिसके कारण ऐसे अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरणों में घटना के 4 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण माननीय राज्यपाल महोदय की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाती है और अपचारी अधिकारी/कर्मचारी शास्ति अधिरोपण की कार्यवाही से बच जाते है।

अतः ऐसे अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरणों की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु प्रत्येक सेवानिवृत्त राजसेवक के सेवा अभिलेख का उसके सभी पदस्थापनों के संदर्भ में परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि क्या उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का प्रकरण प्रस्ताव स्थिति में लम्बित तो नहीं है? इस कार्यवाही को घटना से 4 वर्ष की अवधि समाप्त होने से कम से कम 6 माह पूर्व ही पूरी करके आरोप पत्र प्रसारित करवाने का उत्तरदायित्व राजसेवक के नियुक्ति प्राधिकारी का होगा।

सेवानिवृत्त राजसेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही यथा समय प्रस्तावित नहीं करने एवं विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जावें।

समस्त प्रशासनिक विभाग एवं विभागाध्यक्ष सेवानिवृत्त राजसेवकों के विरुद्ध लम्बित ऐसे अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरणों की सूचना त्रैमासिक निम्न प्रारूप में कार्मिक (क–3/जांच) विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करेगें:–

क्र.सं.	प्रकरण का विवरण	प्रकरण में अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित घटना की दिनांक	प्रकरण लम्बित रहने का कारण

अतः सभी संबंधितों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें एवं सेवानिवृत्त राजसेवकों के संदर्भ में प्रस्तावित अनुशासनिक जांच कार्यवाही के प्रकरणो को उपरोक्त निर्देशों के अन्तर्गत शीघ्रता से निस्तारण करवायें।

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. समस्त संभागीय आयुक्त।
5. समस्त विभागाध्यक्ष (मय जिला कलक्टर्स)।
6. प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।

21/12/21

प्रमुख शासन सचिव